आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2021–22 के संबंध में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न एवं उसके उत्तर (FAQs)

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	मदिरा दुकानों के वर्ष 2021–22 के बन्दोबस्त किस प्रकार किया जायेगा।	नीतिगत निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी.लि. के माध्यम से ई–नीलामी द्वारा किया जायेगा। बन्दोबस्त की अवधि 01.04.2021 से 31.03.2022 तक रहेगी।
2	एम.एस.टी.सी.लि. की वेबसाईट का क्या नाम है।	**https://www.mstcecommerce.com**
3	वेबसाईट पर पंजीयन कराने की प्रक्रिया क्या है।	एम.एस.टी.सी.लि. की वेबसाईट पर पंजीयन के संबंध में अपनाई जाने वाली समस्त प्रक्रिया प्रदर्शित है।
4	क्या एम.एस.टी.सी.लि. वेबसाईट पर पंजीयन कराना निशुल्क है ?	हॉ, एम.एस.टी.सी.लि. की वेबसाईट पर पंजीयन कराना निःशुल्क है।
5	एमएसटीसी लि. की वेबसाईट पर पंजीयन हेतु क्या–क्या दस्तावेज आवश्यक है।	एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाईट पर पंजीकरण के लिये पेन कार्ड या आधार कार्ड का नंबर इन्द्राज करने होगे। साथ ही पहचान एवं पतें के प्रमाण स्वरूप आधार कार्ड या निवार्चन विभाग द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र या ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वः प्रमाणित फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी।
6	लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड कैसे प्राप्त होगे।	आवेदक द्वारा प्रविष्ट मोबाईल नम्बर ही उसकी लॉग ईन आईडी होगी तथा आवेदक द्वारा पोर्टल पर पासवर्ड स्वयं बनाना होगा। जिसके आधार पर वह ई–नीलामी में भाग ले सकेगा।
7	लॉगिन आई.डी. व पार्सवड भूल जाने पर पुनः कैसे प्राप्त होगे।	एम.एस.टी.सी.लि. की वेबसाईट पर फोरगेट ऑपशन की सुविधा उपलब्ध है।
8	एमएसटीसी लि. की वेबसाईट पर पंजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारम्भ होगी।	दिनांक 12.02.2021 को प्रातः 11.00 बजे पंजीयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी।
9	एमएसटीसी लि. की वेबसाईट पर पंजीयन की अन्तिम तिथि क्या है।	चरण विशेष की निलामी दिनांक से एक दिन पूर्व 11.59 पी.एम. तक पंजीयन कराया जा सकता है।
10	ऑनलाईन बोली में कौन भाग ले सकता है।	भारतीय संविदा अधिनियम एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ई–नीलामी में भाग ले सकता है।

<table>
<tr><td>11</td><td>क्या ई–नीलामी भाग लेने हेतु कोई शुल्क निर्धारित है।</td><td>दुकान की श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा कराने के पश्चात ई–नीलामी में भाग ले सकता है।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>दुकानों की श्रेणीवार आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि कितनी निर्धारित है।</td><td><table>
<tr><th>क्रं सं.</th><th>दुकानों की श्रेणी</th><th>आवेदन शुल्क रूपये में</th><th>अमानत राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>50 लाख रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर</td><td>40000 / –</td><td>50000 / –</td></tr>
<tr><td>2</td><td>50 लाख रूपये से अधिक एवं 02 करोड तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर</td><td>50000 / –</td><td>100000 / –</td></tr>
<tr><td>3</td><td>02 करोड रूपये से अधिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर</td><td>60000 / –</td><td>200000 / –</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13</td><td>चरणवाईज निलामी की दिनांक व समय क्या है।</td><td><table>
<tr><th>क्रं सं.</th><th>नीलामी की दिनांक</th><th>नीलामी का समय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>23.02.2021</td><td>प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>24.02.2021</td><td>प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>25.02.2021</td><td>प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक</td></tr>
<tr><td>4</td><td>26.02.2021</td><td>प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक</td></tr>
<tr><td>5</td><td>27.02.2021</td><td>प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक</td></tr>
<tr><td colspan="3">ई–नीलामी एक कार्यदिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>14</td><td>आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि किस प्रकार जमा करानी होगी।</td><td>आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि एमएसटीसी लि. जयपुर के खाते में ऑनलाईन या इन्टरनेट बैकिंग या आरटीजीएस या एनईएफटी या एम.एस.टी.सी. बेवसाईट से चालान प्रिन्ट कर बैंक खाते के माध्यम से जमा करायी जा सकती है।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>क्या आवेदन शुल्क रिफण्ड किया जायेगा।</td><td>आवेदन शुल्क रिफण्ड योग्य नही है।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि कब तक जमा कराई जा सकती है।</td><td>चरण विशेष की निलामी दिनांक से एक दिन पूर्व 11.59 पी.एम. तक आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा करायी जा सकती है।</td></tr>
</table>

17	क्या बोलीदाता एक से अधिक दुकानों की ई–बोली में भाग ले सकता है।	हॉ, बोलीदाता एक से अधिक दुकानों के लिए ई–बोली में भाग ले सकता है। बोली लगाने के लिए दुकानों की संख्या की कोई सीमा नही है।
18	बोलीदाता को कुल कितनी दुकानो के लिए अनुज्ञापत्र जारी हो सकते है।	आबकारी जिले में अधिकतम दो तथा राज्य में अधिकतम पांच दुकानो के लिए अनुज्ञापत्र जारी हो सकते है।
19	क्या बोलीदाता को प्रत्येक दुकान के लिये पृथक–पृथक आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करानी होगी।	हॉ, बोलीदाता को प्रत्येक दुकान के लिये पृथक–पृथक आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करानी होगी।
20	बोलीदता बोली में कैसे भाग ले सकेगा।	बोलीदाता कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे के माध्यम से ई–ऑक्शन में भाग ले सकता है।
21	ई–नीलामी संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश व शर्ते कहॉ उपलब्ध है।	ई–नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु मदिरा दुकानों की सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट https://www.rajexcise.gov.in एवं एम.एस.टी.सी.लि. की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध है।
22	बोली कितनी राशि से प्रारम्भ की जायेगी।	दुकान विशेष की निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस या इससे अधिक राशि से बोली प्रारम्भ की जा सकती है।
23	ई–नीलामी का समय क्या रहेगा।	ई–नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
24	बोलीदाता न्यूनतम कितनी राशि बढाकर बोली लगा सकता है	बोलीदाता पिछली बोली राशि से कम से कम रू. 5000/– बढाकर बोली लगा सकता है।
25	बोलीदाता एक बार में अधिकतम कितनी राशि बढाकर बोली लगा सकता है।	बोलीदाता एक बार में पिछली अधिकतम बोली (Last Bid Amount) की राशि से अधिकतम 5 प्रतिशत बढाकर बोली लगा सकता है।
26	सफल बोलीदाता के पक्ष में कितनी दुकानों की स्वीकृति जा की जा सकती है।	सफल बोलीदाता के पक्ष में एक आबकारी जिले में अधिकतम दो व सम्पूर्ण राज्य में अधिकतम पांच मदिरा दुकानों की स्वीकृति जारी की जा सकती है।
27	सफल बोलीदाता को सूचना कैसे प्राप्त होगी।	उच्चतम बोली स्वीकार होने के बाद एमएसटीसी लि. द्वारा सफल बोलीदाता के मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल पर सूचना दी जायेगी।

28	प्रथम उच्चतम बोलीदाता के अलावा कितने बोलीदाता को रिर्जव रखा जायेगा।	प्रथम उच्चतम बोलीदाता के अलावा उससे कम उच्च राशि वाले दो बोलीदातओं को रिजर्व रखा जायेगा तथा प्रथम उच्चतम बोलीदाता के बेक आउट होने पर उसी राशि पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के मना करने पर तृतीय उच्चतम बोलीदाता को अवसर दिया जायेगा।
29	एक दुकान के लिये कितनी धरोहर राशि जमा करानी होगी।	दुकान विशेष की वार्षिक गारन्टी राशि की 4 प्रतिशत के बराबर राशि धरोहर राशि के रूप में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई–ग्रास चालान के माध्यम से जमा करानी होगी।
30	दुकान विशेष के लिये धरोहर राशि कब जमा करानी होगी।	दुकान विशेष के लिये देय धरोहर राशि का 50 प्रतिशत (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) बोली स्वीकार होने की दिनांक (ई–नीलामी दिवस को छोडकर) से 03 दिवस में एवं शेष राशि 07 दिवस में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई–ग्रास चालान के माध्यम से जमा करानी होगी।
31	अग्रिम वार्षिक गारन्टी कितनी जमा करानी होगी।	दुकान विशेष की वार्षिक गारन्टी राशि के 8 प्रतिशत के बराबर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी के रूप में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई–ग्रास चालान के माध्यम से जमा करानी होगी।
32	अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि कब तक जमा करायी जा सकती है।	अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि दिनांक 01.04.2021 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।
33	धरोहर राशि व अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि निर्धारित समयावधि में जमा नही कराने पर क्या परिणाम होगे।	निर्धारित समय पर धरोहर राशि एवं अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि जमा नही कराने की स्थिति जारी अस्थायी अनुज्ञापत्र निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्त राज की जायेगी।
34	कम्पोजिट फीस कब जमा करनी होगी	सफल बोलीदाता को निर्धारित कम्पोजिट फीस दिनांक 31.03.2021 से पूर्व राजकोष में जमा करानी आवश्यक होगी।
35	ई–नीलामी के लिए पंजीकरण व आवेदन हेतु किन दस्तावेज को तैयार कर पूर्व में रखना आवश्यक है।	1. ई–मेल आई.डी.। 2. मोबाईल नम्बर जिस पर OTP आयेगा। 3. पेनकार्ड या आधार कार्ड। 4. स्वयं के बैंक खाते का विवरण। 5. बैंक का कैन्सल किया हुआ चैक। 6. परिचय पत्रः– निर्वाचन विभाग द्वारा जारी EPIC कार्ड या ड्राइविंग लाईसेन्स आदि कोई फोटो परिचय पत्र